राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1363/2020

श्रवण सिंह शेखावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.11.2020
आदेश की दिनांक : 16.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी का वेतन वर्ष अप्रेल, 2005 से नोशनल फिक्सेशन करते हुये वर्ष 2006 में अपीलार्थी को अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी के समान वेतन श्रृंखला 4500–7000 में फिक्सेशन करते हुये 4625 पर वेतन निर्धारित करते हुये वर्ष 2006 से समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे तथा पुनरीक्षित वेतनमान 6 व 7 में फिक्सेशन करते हुये वरिष्ठता का लाभ दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को जून, 2004 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 02.06.2004 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा भी आवेदन किया गया था। परंतु राजस्थान लोक सेवा आयोग व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयनित अध्यापकों को अप्रेल, 2005 में पदस्थापन कर दिया तथा अपीलार्थी का पदस्थापन

आदेश जारी नहीं किया तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ वरियता क्रमांक 15354 पताशी देवी का पदस्थापन अप्रेल, 2005 में किया गया तथा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 28.06.2006 को जारी किया गया। जबकि अपीलार्थी का चयन सूची में वरियता क्रमांक 10245 है जो पताशी देवी से चयन सूची में वरिष्ठ है। परंतु विभाग की गलती के कारण अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश देरी से जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी चयन सूची में वरिष्ठ होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी के समान पे स्टेपिंग का लाभ नहीं दिया तथा वरिष्ठता का लाभ भी कनिष्ठ से पूर्व प्रदान नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी से कनिष्ठ के समान पे स्टेपिंग करते हुये वरिष्ठता का लाभ दिया जावे तथा समस्त लाभों का भुगतान किया जावे। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7283/2014 मनोज खंडेलवाल एवं अन्य स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4808/2001 सुमन बाई एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2008 के न्यायिक निर्णयों को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के समान तथ्यों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची के अनुसार वरिष्ठता का लाभ देते हुये नोशनल फिक्सेशन करते हुये समान वेतन दिलाया गया है तथा माननीय अधिकरण ने भी अपील संख्या 756/2020 राजपाल बनाम शिक्षा विभाग में निर्णय दिनांक 08.09.2020 को समान तथ्यों पर अधिकरण द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये वेतन व वरिष्ठता का लाभ दिलाया गया है पर उक्त निर्णयों के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की राजस्थान लोक सेवा आयोग में उच्च मेरिट क्रमांक 10245 होने के बावजूद तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी का मेरिट क्रमांक 15354 होने के बावजूद अपीलार्थी की बिना गलती के अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी के समान न तो नोशनल फिक्सेशन करते हुये वेतन समान किया गया तथा न ही अपीलार्थी से कनिष्ठ से पूर्व वरिष्ठता का लाभ दिया गया जो राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमों के विपरीत है तथा प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य मनमाना एवं पक्षपातीपूर्ण है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी का वेतन वर्ष अप्रेल, 2005 से नोशनल फिक्सेशन करते हुये वर्ष 2006 में अपीलार्थी को अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी के समान वेतन श्रृंखला 4500–7000 में फिक्सेशन करते हुये 4625 पर वेतन

निर्धारित करते हुये वर्ष 2006 से समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे तथा पुनरीक्षित वेतनमान 6 व 7 में फिक्सेशन करते हुये वरिष्ठता का लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि जून, 2004 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 02.06.2004 के तहत वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड तृतीय के लिये विज्ञप्ति जारी की गई थी, परंतु राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे अध्यापकों को अप्रेल, 2005 में पदस्थापन कर दिया गया, जिनकी बी.एड. शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तथा उनके पदस्थापन आदेश अप्रेल, 2005 में जारी किये गये तथा अपीलार्थी कार्मिक का पदस्थापन आदेश दिनांक 28.06.2006 को जारी किया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक द्वारा दिनांक 11.04.2005 को कार्यग्रहण किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2006 को कार्यग्रहण किया गया। इसलिये अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने की दिनांक से ही वेतन एवं वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है। अपीलार्थी को उक्तानुसार ही लाभ दिया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जून, 2004 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिनांक 02.06.2004 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा भी आवेदन किया गया था। परंतु राजस्थान लोक सेवा आयोग व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयनित अध्यापकों की मेरिट चयन सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का वरियता क्रमांक 10245 है तथा पताशी देवी का वरियता क्रमांक 15354 है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी का पदस्थापन आदेश अप्रेल, 2005 में जारी किया गया तथा अपीलार्थी चयन सूची में वरिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 28.06.2006 को जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। नियमानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार ही पदस्थापन आदेश जारी किये जाते हैं तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार किसी भी कार्मिक की वरिष्ठता चयन सूची के वरियता क्रमांक के अनुसार ही निर्धारित की जानी चाहिये। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने चयन सूची के अनुसार एक ही वर्ष में भर्ती

अध्यापकों की वरिष्ठता सूची वरिष्ठता के आधार पर जारी नहीं करते हुये कार्यग्रहण के आधार पर जारी की है, जो राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियमों के विपरीत है तथा अपीलार्थी चयन सूची में वरिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी से कनिष्ठ पताशी देवी को अप्रेल, 2005 में नियुक्ति प्रदान करते हुये वेतन का लाभ दिया गया है तथा वेतन वृद्धि दी गई है, परंतु अपीलार्थी चयन सूची में वरिष्ठ होने के बावजूद पताशी देवी के समान राजस्थान लोक सेवा नियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ के समान पे स्टेपिंग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष